उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग–3
संख्या–1395/36–03–2018–03(एम0डब्ल्यू)/06
लखनऊ:: दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

:: अधिसूचना ::

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 275/36–3–14–3(एम0डब्लू0)/06 दिनांक 26, मार्च 2014 का अधिक्रमण करके और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 704/36–03–2014 दिनांक 09, जुलाई, 2014 के क्रम में राज्यपाल, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम; 1923 के अधीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित **आयुक्तों** को, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) एवम् धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम दरों पर मजदूरी के भुगतान, विश्राम दिवसों की मजदूरी के गैर भुगतान तथा धारा–14 के अधीन अतिकालिक मजदूरी के भुगतान से उद्भूत होने वाले समस्त दावों के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित उनकी अपनी अधिकारिता में नियोजित कर्मकारों/कर्मचारियों के सम्बंध में सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिये **'विहित प्राधिकारी'** के रूप में नियुक्त करते हैं:–

उक्त नियुक्तियाँ, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या–49066/2010 के अन्तिम विनिश्चय के अध्यधीन होंगी।

अनुसूची

क0स0	विहित प्राधिकारी	अधिकारिता
1	2	3
1	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश एवं मुख्यालय कानपुर में तैनात समस्त अपर श्रमायुक्त /उप श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
2	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद	गाजियाबाद, बुलंदशहर तथा हापुड़।
3	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त नोयडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) ।	(गौतमबुद्धनगर)
4	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज।

	क्षेत्र।	
5	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त वाराणसी क्षेत्र।	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चन्दौली।
6	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त लखनऊ क्षेत्र।	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, तथा सीतापुर।
7	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त मेरठ क्षेत्र ।	मेरठ तथा बागपत ।
8	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त सहारनपुर क्षेत्र।	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा शामली।
9	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त आगरा क्षेत्र।	आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा मथुरा।
10	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त अलीगढ़ क्षेत्र।	अलीगढ़, एटा, हाथरस तथा कासगंज।
11	क्षेत्रीय अपर/उपश्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त प्रयागराज क्षेत्र।	प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, तथा प्रतापगढ़।
12	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त मिर्जापुर क्षेत्र पिपरी सोनभद्र।	मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदास नगर।
13	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त आज़मगढ़ क्षेत्र।	आजमगढ़, मऊ तथा बलिया।
14	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त गोरखपुर क्षेत्र।	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, तथा महाराजगंज।
15	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त झांसी क्षेत्र।	झांसी, ललितपुर, तथा जालौन।
16	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त फैजाबाद क्षेत्र।	फैजाबाद, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, तथा अमेठी।
17	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त चित्रकूटधाम, (बॉदा)।	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, तथा महोबा।
18	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त बस्ती क्षेत्र।	बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संतकबीरनगर।
19	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र।	गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती तथा बलरामपुर।

20	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त बरेली क्षेत्र।	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा बदायूं ।
21	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा समस्त सहायक श्रम आयुक्त मुरादाबाद क्षेत्र।	मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, बिजनौर, अमरोहा।
22	समस्त जिला मजिस्ट्रेट।	जिलो में अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ।
23	विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र।	अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1395/36–03–2018–03(एम0डब्ल्यू)/06 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियॉ श्रम अनुभाग–3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ को एवं 150 प्रतियॉ श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर पेटी संख्या–220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।

3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5– समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0। (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या- 1664-95 /प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/16 दिनांक 26-12,2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना से समस्त अधिकारियों को अवगत करायें।

2- संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 1395/36-03-2018-03(एम0डब्लू0)/06, 20.12.2018 के क्रम में सूचनार्थ।

3- अपर श्रमायुक्त(नजारत/कम्प्यूटर), मुख्यालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवम् विभागीय वेबसाईट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

4- उप श्रमायुक्त, आई0आर0 मुख्यालय।

5- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ।

6- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।(सम्पादक...)

26/12/18
(राजेश मिश्रा)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

F:\yanter\yanter\YANTER second\MW workman comp-----notifition doc